राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

File No.:- F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/ 1203 **Date : 17.02.2017**

–:कार्यालय आदेश:–

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निकायों के तकनीकी कार्यों हेतु कन्सलटेन्ट का एक पैनल तैयार किया गया था। यह पैनल राज्य सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के लागु होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी था।

राज्य सरकार द्वारा शहरी जन कल्याण शिविर प्रारम्भ किये जा रहे हैं। शहरी जन कल्याण शिविरों में विभिन्न नगरीय निकायों में भूमि के नियमन संबंधी विभिन्न कार्यों यथा लीजडीड जारी करना, योजनाओं के सर्वे, ले–आउट प्लान, साईट प्लान, भवन मानचित्रों का अनुमोदन आदि एवं अन्य कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। अतः शिविरों में किये जाने वाले उक्त तकनीकी कार्यों हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 की अवधि में दिनांक 31.03.2018 तक एत्तद्वारा वृद्धि की जाती हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

File No.:- F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/ 1204-1212 **Date : 17.02.2017**

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
   जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।

9\. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

8\. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

17/02/2017
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः **TPR /E.O.R. /2013**/283-325 दिनांक : **03/10/2013**

कार्यालय आदेश

1.0 नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2011 द्वारा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों की नगरीय विकास से संबधित परियोजनाओं को तैयार किये जाने हेतु 17 विभिन्न श्रेणियों में कंसलटेन्ट्स का एम्पेनलमेन्ट किया गया था। तत्पश्चात् सरकार के आदेश दिनांक 21.09.2011 व इसी निरन्तरता में जारी अन्य आदेशों द्वारा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में राज्य सरकार के "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो व अन्य तत्संबंधी कार्यो हेतु डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स का एम्पेनलमेन्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त एम्पेनलमेन्ट में और अधिक विस्तार किये जाने एवं कुछ अतिरिक्त श्रेणियों में भी कसंलटेन्ट्स का पैनल तैयार किये जाने की दृष्टि से विभाग द्वारा क्रमांक टी.पी. आर./ ई.ओ.आर./13 दिनांक 26.07.2013 के तहत कंसलटेन्ट्स से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" जारी किया गया था। "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" को वृहद रूप से प्रचार प्रसार हेतु राज्य/राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था –

1. इण्डियन एक्सप्रेस (सम्पूर्ण भारत प्रकाशन)	दिनांक 29.07.2013
2. टाईम्स ऑफ इण्डिया (सम्पूर्ण भारत प्रकाशन)	दिनांक 29.07.2013
3. राजस्थान पत्रिका (सम्पूर्ण राजस्थान प्रकाशन)	दिनांक 30.07.2013
4. दैनिक भास्कर (सम्पूर्ण राजस्थान प्रकाशन)	दिनांक 31.07.2013
5. दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत (सम्पूर्ण राजस्थान प्रकाशन)	दिनांक 01.08.2013
6. डेली न्यूज (जयपुर प्रकाशन)	दिनांक 01.08.2013

2.0 "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" के तहत कंसलटेन्ट्स से निम्नलिखित श्रेणियों में एम्पेनलमेन्ट हेतु आवेदन दिनांक 02.09.2013 तक विभाग में प्राप्त किये गये थे :–

Category S.No.	Category of Consultancy Services
I.	ARCHITECTURAL DESIGN PROJECTS
II.	HERITAGE CONSERVATION PROJECTS.
III.	LANDSCAPE PROJECTS.
IV.	MASTER PLANS/SECTOR PLANS/CITYDEVELOPMENT PLANS/ENVIRONMENT PLAN OF URBAN AREAS/TOWNS/VILLAGES
V.	PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY
VI.	URBAN TRANSPORT PROJECTS INCLUDING TRAFFIC

MANAGEMENT PLANS

VII. LEGAL ADVISE AND PREPARATION OF CONTRACTUAL DOCUMENTS ETC. IN PPP AND OTHER PROJECTS.

VIII. SURVEY AND LAND ACQUISITION THROUGH LAND POOLING FOR VARIOUS PROJECTS/ROADS/SCHEMES

IX. PREPARATION OF CITY SANITATION PLANS/ ENVIRONMENT PLAN

X. GIS MAPPING AND DATABASE

XI. RAIN WATER HARVESTING

XII. PREPARATION OF DPR FOR HOUSING, SEWERAGE, DRAINAGE, WASTE WATER RECYCLING & WATER SUPPLY ETC.

XIII. PREPARATION OF DPR FOR ROADS, FLY-OVERS, BRIDGES & ROB'S

XIV. PREPARATION OF SLUM FREE CITY PLAN OF ACTION AND DETAILED PROJECT REPORT UNDER RAY OF GOVT. OF INDIA.

3.0 कंसलटेन्टस को इस सम्पूर्ण प्रक्रिया बाबत विस्तृत Terms of Reference तैयार कर विभागीय वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व दिनांक 27.08.2013 को प्री–बिड मीटिंग भी आयोजित की गयी थी जिसमें लगभग 100 विभिन्न कंसलटेन्सी फर्मो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

4.0 "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" के तहत कंसलटेन्टस से प्राप्त प्रस्तावों के साथ संलग्न प्रोफाईल के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एम्पेनलमेन्ट हेतु उचित पाये गये कंसलटेन्ट्स की सूची परिशिष्ट "A" पर संलग्न है। प्राप्त प्रस्तावों में से कुछ कंसलटेन्ट्स को उनके द्वारा आवेदित श्रेणी हेतु तकनीकी क्षमता का विस्तृत परीक्षण किये जाने की दृष्टि से "Under Review" रखा गया है। "Under Review" रखे गये कंसलटेन्ट्स की सूची परिशिष्ट "D" पर संलग्न है। इन कंसलटेन्ट्स के प्रोफाईल की विस्तृत समीक्षा पश्चात् इनके एम्पेनलमेन्ट हेतु अन्तिम निर्णय पृथक से लिया जावेगा।

5.0 राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2011 के तहत एम्पेनल किये गये कंसलटेन्टस में से उनके द्वारा गत 3 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में ली गयी रूचि, विभिन्न नगरीय निकायों में उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं तकनीकी प्रोफाईल की समीक्षा के आधार पर परिशिष्ट "C" पर संलग्न सूची में उल्लेखित विभिन्न श्रेणियों के कंसलटेन्ट्स को "Under Review" रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इन कंसलटेन्ट्स की प्रोफाईल, तकनीकी क्षमता, विभिन्न नगरीय निकायों से इनके द्वारा किये गये कार्यों बाबत् विस्तृत सूचना प्राप्त करने के पश्चात् विस्तृत परीक्षण व विश्लेषण किया जाकर इन कंसलटेन्ट्स को पुनः मुख्य सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जावेगा। "Under Review" की सूची में संलग्न कंसलटेन्ट्स इस अवधि में संबंधित

श्रेणियों की नगरीय निकायों की परियोजनाओ में कंसलटेन्सी कार्यो हेतु प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

6.0 परिशिष्ट "B" पर संलग्न सूची में सम्मिलित कंसलटेन्ट्स राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों हेतु यथावत एम्पेनल रहेंगे।

7.0 राज्य के समस्त नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (RUIDFCO) व राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (RUIDP) विभागों को एतत्‌द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रस्तावित समस्त परियोजनाओं हेतु परिशिष्ट "A" व परिशिष्ट "D" पर संलग्न सूची के अनुसार एम्पेनल किये गये कंसलटेन्ट्स से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर कंसलटेन्सी कार्य करवाया जावे। यदि किसी कारणवश इन सूचियों में उल्लेखित कंसलटेन्ट्स से कार्य नहीं करवाया जाना प्रस्तावित है तो राज्य सरकार को पूर्वानुमति पश्चात् ही करवाया जा सकेगा।

8.0 राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 04.05.2011 के तहत एम्पेनल किये गये कंसलटेन्ट्स से ही प्रस्ताव प्राप्त कर "प्रशासन शहरों के संग" अभियान से संबंधित कार्यो एवं अन्य तत्संबंधी कार्यो हेतु राज्य के समस्त नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स लगाये गये थे। अभियान के दौरान इन कंसलटेन्ट्स द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा पश्चात् कंसलटेन्ट्स की अवधि में वृद्धि भी की गयी है तथा कुछ कंसलटेन्ट्स को हटाया गया है। अभियान के दौरान कंसलटेन्ट्स द्वारा किये गये कार्यों एवं अभियान के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी Terms of Reference के अनुसार ही "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" दिनांक 26.07.2013 के तहत डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स हेतु भी प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त प्रस्तावों में कंसलटेन्ट्स द्वारा दिये गये नगरीय निकाय और पूर्व में कार्य कर रहे डेडीकेटेड कंसलटेन्टस एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त नगरीय निकायों हेतु डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स का संशोधित पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल में संलग्न कंसलटेन्ट्स की सूची परिशिष्ट"E" पर संलग्न है।

9.0 "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट–2013" दिनांक 26.07.2013 के तहत जारी Terms of Reference में वर्णित कार्यो हेतु डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकाय में एक प्लानिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकेगा। इस प्रकोष्ठ में नगरीय निकाय की आवश्कतानुसार अरबन प्लानर, आर्किटेक्ट, ऑटोकेड ऑपरेटर, GIS विशेषज्ञ जैसे तकनीकी विशेषज्ञ लिये जा सकेंगे। डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स के माध्यम से रखे जाने वाले उक्त तकनीकी विशेषज्ञ संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय में संबंधित जिला नगर नियोजक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देशन में निम्न तकनीकी कार्यो में नगरीय निकाय को सहयोग करेंगे :–

Category– A- Services against retainer ship payment on lump sum fixed fee on a monthly basis.

Category-B- Services for which payment would be made on case-to-case basis, based on the work actually done by the Consultant (payment based on rationalized rates)

- **Identification of unauthorized residential colonies on agricultural & other lands and Total Station Survey and preparation of their layout plans for regularization.**
- **Survey and Super imposition of site on master plan of the land conversion cases / other matters under consideration of the local body.**
- **Preparation of broad layout plans for Residential / Commercial / Institutional schemes etc.**
- **Identification of Govt. Lands within Urban Area, survey and preparation of Layout Plan /Site Plan for various proposals schemes/projects.**
- **Planning of Public utilities and amenities like Parks, Public Toilets, Bus Stand, Bus stops, Parking lots, Convenient Shopping Areas, Kiosks, Homes for Shelterless, Exhibition / Mela Grounds, Schemes for Street Vendors / Informal Sector Shopping like Haat Bazar etc. or any other scheme looking to the local requirement.**
- **Broad Architectural designing of proposed Public Buildings.**
- **Identification of Projects, and preparation of preliminary report.**
- **Other related services that may be required by the urban local body in the town / district e.g. Site Selection, technical advise in routine matters, etc.**
- **Fecilitate in regularization of unauthorized construction under the scheme of State Government.**
- **Technical examination of building plans upto 500 sqm. Area for residential plots and commercial plots as per provisions of building regulations.**
- **Providing architects/urban planners/engineers/drafts man/Auto CAD operator etc. on consultancy fee/ fixed retain ship fee/ contract basis.**
- **Any other work which may be decided by the concern Urban Local Bodies on mutually agreed terms.**

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स के माध्यम से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 21.09.2013 में वर्णित कार्य भी आवश्यकतानुसार करवाये जा सकेगे एवं कार्यों की दर पूर्वानुसार ही आदेश दिनांक 30.09.2011, 26.06.2012 एवं समय–समय पर इस संबंध में जारी अन्य आदेशों के तहत ही रहेगी।

10.0 डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स के माध्यम से रखे जाने वाली तकनीकी विशेषज्ञों को निम्नानुसार भुगतान देय होगा, जो कि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सीधे ही डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स को किया जावेगा :–

क्रमांक	तकनीकी विशेषज्ञ	योग्यता	दर (प्रतिमाह)
1.	अरबन प्लानर / आर्किटेक्ट	नगर, क्षेत्रीय / पर्यावरण / हाउसिंग / इन्फ्रास्ट्रक्चर / ग्रामीण / परिवहन में आयोजना में स्नातकोतर	25000 / – प्रति माह व रूपये 1,000 / – प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर एवं 20 वर्ष से अधिक के अनुभव पर अधिकतम रूपये 40,000 / – प्रति माह
		आर्किटेक्चर अथवा आयोजना में स्नातक उपाधि (B.Arch अथवा B.Plan)	22000 / – प्रति माह व रूपये 1,000 / – प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर एवं 20 वर्ष से अधिक के अनुभव पर अधिकतम रूपये 30,000 / – प्रतिमाह
2.	जी.आई.एस. विशेषज्ञ	जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम / रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में स्नातकोतर एवं जी. आई.एस. सॉफ्टवेयर का ज्ञान एवं अनुभव	20,000 / – प्रति माह व रूपये 1,000 / – प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर एवं अधिकतम रूपये 30,000 / – प्रतिमाह
		जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम / रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा एवं जी.आई. एस. सॉफ्टवेयर का ज्ञान एवं अनुभव	17,000 / – प्रति माह व रूपये 1,000 / – प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर एवं अधिकतम रूपये 30,000 / – प्रतिमाह
3.	ऑटोकैड ऑपरेटर	ड्राफ्ट्समैनशिप में आई.टी. आई / आर्किटेक्चर	रूपये 10,000 / – प्रति माह, रूपये 500 / – प्रति वर्ष के

		डिप्लोमा / इन्टिरियर डिजाईन में डिग्री अथवा डिप्लोमा एवं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेन्टर से अधिकृत प्रशिक्षण ज्ञान एवं अनुभव	अनुभव के आधार पर एवं अधिकतम रूपये 15,000 / – प्रति माह
नोट :– कंसलटेन्ट्स फर्म को उक्त राशि में 7.5 प्रतिशत कंसलटेन्सी राशि+सर्विस टैक्स अतिरिक्त देय होगा। उक्त राशि संबंधित विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास / नगर परिषद / नगर पालिका द्वारा वहन की जावेगी।			

11.0 प्रथम चरण में राज्य के समस्त नगर निगम / नगर परिषद स्तर के नगरीय निकायों को न्यूनतम एक अरबन प्लानर / आर्किटेक्ट व एक ऑटोकैड ऑपरेटर डेडीकेटेड कंसलटेन्ट्स के माध्यम से रखा जाना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास अपनी आवश्यकतानुसार तकनीकी विशेषज्ञ रख सकेंगे।

12.0 Terms of reference में उल्लेखित अन्य श्रेणियों में कंसलटेन्सी कार्यों हेतु भी दरों के निर्धारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही पश्चात् पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे, ताकि तदानुसार कंसलटेन्ट्स से कार्य करवाया जा सकें।

13.0 कंसलटेन्ट्स का पैनल में चयन से प्रोजेक्ट दिये जाने की गारन्टी नहीं होगी तथा सरकार को इस संबंध में समस्त अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यह पैनल आगामी तीन वर्षो तक लागू रहेगा एवं राज्य सरकार को पैनल अवधि में वृद्धि करने, संशोधन करने, निरस्त करने, किसी भी कंसलटेन्ट को उनका कार्य संतोष जनक नहीं पाये जाने अथवा पूर्व में किसी राजकीय संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड किये जाने पर पैनल से हटाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान से अनुमोदित है

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
नगरीय विकास, आवासन विभाग एवं
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि / 3 / 13 / 283-325 दिनांक : OCT

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास (समस्त)।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
9. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. निदेशक (आयोजना),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. निदेशक (अभियान्त्रिकी), (प्रथम / द्वितीय) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. (RUIDP) जयपुर।
13. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ. (RUIFDCO) जयपुर।
14. मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
15. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान।
16. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
17. क्षैत्रीय उप निदेशक (स्वायत्त शासन विभाग) समस्त को प्रेषित कर लेख है कि समस्त नगरीय निकायों को आदेश की प्रति प्रेषित करावे।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर / उदयपुर (राजस्थान)।
20. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक
स्वायत्त शासन विभाग / कार्यालय मुख्य
नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
(Nodal Officer)